

आवेदन पत्र

प्रति,

आयुक्त,
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,
नर्मदा भवन (सी ब्लॉक—द्वितीय तल)
59—अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

विषय :— महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत बेयर फुट टेक्निशियन के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स के लिये आवेदन।

—00—

..... दैनिक समाचार पत्र अगस्त से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत बेयर फुट टेक्निशियन कार्यक्रम अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने हेतु मैं अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। मेरा विवरण निम्नानुसार है :—

नाम :

सेवानिवृत्ति के समय पदनाम एवं विभाग का नाम :

.....
सेवानिवृत्ति का पत्र क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न है) :

जन्म तिथि :

मोबाईल नम्बर :

ई—मेल :

वर्तमान पता :

स्थाई पता :

महात्मा गांधी नरेगा में कार्य करने का अनुभव (यदि कोई हो तो) :

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
23 अगस्त 2016

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन (सी-ब्लॉक-ट्रिप्पीय तल) 59-अरोडा हिल्स, भोपाल-462011
क्र. 7843/MGNREGS-MP/NR-3/2016 भोपाल, दिनांक 19.8.2016

विज्ञापन

ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भारत सरकार के बेहर फुट टेक्निशियन कार्यक्रम (BFT) के अंतर्गत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण व महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत एकित्व जॉबकार्डधारी परिवार के इच्छुक महिला/ पुरुषों को 90 दिवसीय प्रशिक्षण दिये जाने हेतु मास्टर ट्रेनर बनने के इच्छुक निर्माण विभाग/ निगम-मंडल के सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री, उपसंचालक कृषि/ उद्यानिकी, बनमंडल अधिकारी या वरिष्ठ स्तर के सेवा निवृत्त अधिकारी मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेंगे।

- 65 वर्ष तक आयु के सेवानिवृत्त अधिकारियों को प्रारंभिकता दी जायेगी।
- मास्टर ट्रेनर हेतु 10 दिवसीय प्रशिक्षण राज्यीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान हैदराबाद द्वारा माह अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जायेगा।
- प्रशिक्षण में ठहरने व भोजन व्यवस्था संबंधित संस्थान द्वारा किया जायेगा किन्तु आने-जाने का किराया आवेदक को स्वयं वहन करना होगा।
- प्रमाणित मास्टर ट्रेनर्स को (BFT) को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु 1000/- से 2500/- रुपये तक प्रति दिवस का पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया है।

इच्छुक व्यक्ति परिषद की वेबसाईट www.nregs-mp.org पर उपलब्ध आवेदन पत्र प्रारूप में 26 अगस्त 2016 तक आवेदन कर सकेंगे अथवा म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद को भेज सकेंगे।

जी- 17389/16

सुरेश आर्य
अति. संचालक/ अति. मुंकार्य. अधि.
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल